

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 176/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

अनाराम वगैरा बनाम भुड़ाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील — श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक — 16.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा निम्बली, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 2 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। आवेदन में वर्णित खसराओं की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा निम्बली, पटवार क्षेत्र सणाऊ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 2 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

भू.अ./2019/

दिनांक

विप्राथीगण :-

1. अनाराम पुत्र हुकमाराम 2.ओपाराम पुत्र पदमाराम
3. रूपाराम 4.केशराराम 5.दुर्गाराम 6.पुरखाराम
7.टीकमाराम पि.वगताराम जाति जाट, निवासी
नीम्बली
तहसील चौहटन।

विप्राथीगण:-

1.धुड़ाराम 2.वीजाराम 3.जेताराम पि. मूलाराम
4.देरामाराम पुत्र डूंगराराम 5.बालकाराम पुत्र
तुलसाराम, जाति रबारी, निवासी नीम्बली
6.भूराराम 7.खुमाराम 8.रुगाराम पि.हेमाराम
9.हनुमान पुत्र कालूराम, जाति जाट
10.हसन पुत्र करमाली, जाति मुसलमान
निवासी नीम्बली, 11.आम्बसिंह 12.गेमरसिंह पि.
प्रतापसिंह 13.पुरखसिंह पुत्र दीपसिंह, जाति
राजपूत, निवासी सणाऊ 14.नारायणसिंह पुत्र
रायसिंह, जाति राजपूत, निवासी दूधवा खुर्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 176/2018

दिनांक : 16.08.2019

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा निम्बली के खेत खसरा सं. 2 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 3 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत, नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्राथीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2019/437 10 40

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण अनाराम वगैरा
3. विप्राथीगण धूड़ाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(Handwritten signature)

(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 16/8/19

(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन